न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री नमित मेहता, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 34 / 2021 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2021 / 165

प्रार्थीगण :—

1. जोगाराम पुत्र नेनाजी, जाति देवासी
2. पुनाराम पुत्र अमराराम, जाति चौधरी, निवासीगण डायलाना कलां, तहसील देसूरी, जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :—

1. महिपाल पुत्र भंवरलाल, जाति सरगरा, निवासी डायलाना कलां, तहसील देसूरी, जिला पाली (राज.)
2. ग्राम पंचायत डायलाना कलां जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :— प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित
अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री चेतन कुमार चौहान

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 29.11.2022

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत डायलाना कलां द्वारा आदेश दिनांक 20.04.2018, मिसल संख्या 127 / 30.11.2017 की पालना में अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2079 दिनांक 20.04.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रार्थीगण की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि जैर निगरानी पट्टा तत्कालीन सरपंच नारायणलाल द्वारा अपने सगे भाई भंवरलाल के पुत्र के पक्ष में खाली भू—खण्ड का नियम 157 के तहत् जारी किया गया है, जिसके तहत् पुराने निवासगृह को विनियमितिकरण किया जा सकता, पट्टा जारी करने का प्रावधान नहीं है। अतः जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिज है। नियम 47 राजस्थान पंचायती राज नियम अनुसार सरपंच ना तो अपने परिजनों के हक में किसी प्रकार के लाभ का कोई कार्य कर सकता है न ही इससे संबंधित किसी कार्यवाही में भाग ले सकता जबकि जैर निगरानी आदेश तत्कालीन सरपंच नारायणलाल ने अपने सगे भाई के पुत्र के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जो काबिले खारिज है। जैर निगरानी आदेश में वर्णित मिसल में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा एक आवेदन अपने पिता के सगे भाई नारायणलाल सरपंच को बिना दिनांक का देना बताया गया है, उसके आधार पर दिनांक 20.01.2018 व 30.11.2018 को मिसल कायम की गई, जिसमें कम्प्यूटराईज प्रारूप बना हुआ है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 के नाम, पते व एक वार्डपंच पुखराज के नाम के अलावा शेष सभी कॉलम खाली छोड़े हुए है। दूसरी आदेशिका दिनांक 05.02.2018 भी कम्प्यूटराईज है, जिसमें मौका निरीक्षण पेश होना, नक्शा बनाया जाना बताते हुए 07 दिन का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किया गया है, जबकि आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए 30 दिन का आपत्ति इश्तिहार जारी करने का प्रावधान है। अंतिम आदेशिका दिनांक 20.04.2018 भी कम्प्यूटराईज बताई गई है, केवल महिपाल नाम दर्ज किया गया है, शेष स्थान खाली ही है, दोनों ही आदेशिकाओं के नीचे सरपंच अथवा अन्य किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है, न ही कोरम के सदस्यों के हस्ताक्षर है फिर भी पत्रावली को बैठक में पेश होना बताया गया, लेकिन ऐसी कोई बैठक होना नहीं बताया गया है। आदेशिका दिनांक 20.04.2018 में डीएलसी रेट से रूपये 54,556 / — दिनांक 20.01.2018 को जमा होने बताये है, जो संभव नहीं है क्योंकि जो आदेश दिनांक 20.04.2018 को जारी होगा उसकी पालना में उसके तीन माह पहले पैसे जमा नहीं हो सकते है, जिससे स्पष्ट है कि सारी कार्यवाही कूटरचित तरीके से की गई है। जैर निगरानी पट्टे में कायम मिसल में आबादी भूमि के निरीक्षण का जो प्रपत्र लगा हुआ है, उसमें जसाराम व सुकली के हस्ताक्षर होना बताये है, लेकिन उनके द्वारा हस्ताक्षर नहीं करना बताया है व हस्ताक्षर फर्जी होना बताया है, इस संबंध में अलग से शपथ पत्र पेश किये जा रहे है। उक्त निरीक्षण का प्रपत्र बिल्कुल

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

कूटरचित तरीके से तैयार किया गया है और जो आपत्ति इश्तिहार जारी होना बताया गया है वह कब और कहां, किन मौतबिरान के रूबरू चस्पा किया, इस बाबत् भी रिपोर्ट नहीं है। कायम की गई मिसल में दो व्यक्तियों वनाराम और जसाराम के बयान लेने बताये गये है, जबकि उपरोक्त व्यक्तियों ने बयान देने से भी मना किया है। अतः जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिज है। जैर निगरानी पट्टा पुश्तैनी मकान मानते हुए जारी किया गया है जबकि उपरोक्त भूमि खाली भू–खण्ड के रूप में ग्राम पंचायत की संपत्ति है तथा सड़क सीमा में मुख्य सड़क पर स्थित है जो पंचायत नियम 161 के अनुसार ग्रामीण सड़क एवं अन्य जिला सड़कों की मध्य रेखा से 50 फीट के अन्दर आने वाली भूमि को विक्रय करने का ग्राम पंचायत को विधिक रूप से कोई अधिकार नहीं है। इस संदर्भ में वकील प्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये जो निम्न है :– 1984 WLN (UC) 175, 2009 DNJ 982, 2018 DNJ 497, 2003 RRT 136 जिसमें सरपंच अपने परिजन, भाई, माता, भाई के पुत्र व पत्नी के नाम से पट्टे जारी नहीं कर सकता है, जिसमें उसका हित दर्शित होता है। दृष्टान्त 2019 DNJ 570, 2012 RRT 1265, 2017 DNJ 668, 2017 DNJ 730 जिसमें नियम 157 के तहत केवल पुराने व पुश्तैनी आवासीय मकानों के ही पट्टे जारी किये जा सकते है भू–खण्ड के नहीं व दृष्टान्त 1984 RLW 528, 2013 RRT 350 के अनुसार रास्ते की भूमि का पट्टा नहीं दिया जा सकता है। अतः जैर निगरानी पट्टा तत्कालीन सरपंच के भाई के पुत्र के नाम जारी है तथा जैर आराजी सड़क के मध्य बिन्दु से 05 फीट की दूरी पर स्थित है, जो भूमि सड़क सीमा की भूमि है, जो काबिले खारिज है।

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी लिखित बहस में वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस का खंडन करते हुए निवेदन किया कि उक्त निगरानी पेश करने से पूर्व श्रीमान के समक्ष एक शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें डायलाना कलां के निर्माण कार्य की जाँच कराने बाबत् निवेदन किया। जिस पर श्रीमान के कार्यालय के पत्रांक 712 दिनांक 24.10.2019 द्वारा विकास अधिकारी, दूसरी को जाँच बाबत् प्रेषित किया गया, जिसके जवाब में विकास अधिकारी ने पत्रांक दिनांक 08.07.2022 द्वारा अवगत कराया कि ग्राम पंचायत डायलाना कलां के एक कमेटी द्वारा वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक जारी सभी पट्टों की जाँच करवाई गई। जिसमें जाँच कमेटी द्वारा अवगत करवायागया कि वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक जारी पट्टों में से एक भी पट्टा अवैध नहीं है। इसके अतिरिक्त परिवादीगण व ग्राम पंचायत के निवासीगण के स्वतंत्र गवाहों के बयान लिये गये जिससे पूर्ण स्पष्ट होता है कि उक्त अवधि में जारी एक भी पट्टा खारिज योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा आधारहीन निगरानी प्रस्तुत की गई जो काबिले खारिज है।

बहस उभयपक्ष सुनी जाकर उस पर गहन मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया एवं वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस के संलग्न विकास अधिकारी की जाँच रिपोर्ट में वर्णितानुसार सरपंच के भाइयों, भाई के पुत्र, पत्नी व सरपंच की माता के नाम पट्टे जारी होना बताया है जिसमें पारिवारिक सदस्यों को फायदा पहुँचाने की नियत से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पट्टा जारी किया गया है, के संबंध में बिन्दु निम्न है –

1. जैर निगरानी पट्टा नियम 157(1) के तहत पुराने मकानों का विनियमितीकरण के तहत दिया गया है जबकि मौके पर खाली भू–खण्ड है।
2. पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 47 "बैठक के विचाराधीन विषय में जब किसी सदस्य का धनीय हित निहीत हो" का तत्कालीन सरपंच द्वारा स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।
3. जैर निगरानी पट्टा जारी करने में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां रखी गई है।

बिन्दु संख्या 01 के संदर्भ में यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा बिना दिनांकित आवेदन नियम 157 (1) में कब्जे का विनियमितीकरण कर पट्टा जारी करने का आवेदन किया है, जिसके संबंध में पूर्व टंकित कार्यालय टिप्पणी जिस पर दो पृथक–पृथक दिनांक का अंकन कर चलाई गई है जिसमें नियम 145(क) के अन्तर्गत भूमि के विक्रय के रूप में पट्टा जारी करने बाबत् टंकित की हुई है। जिससे प्रथम–दृष्ट्या यह स्पष्ट

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलक्टर, पाली

होता है कि प्रार्थी का आवेदन व निर्धारित मिसल की आदेशिकाओं में विरोधाभास है जो कि जैर निगरानी भू–खण्ड आवंटन की प्रक्रिया पर संशय उत्पन्न करता है।

बिन्दु संख्या 02 के संदर्भ में यह है कि बहस के दौरान अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अप्रार्थी एवं तत्कालीन सरपंच के निकट रिश्ते को स्वीकार किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन सरपंच द्वारा निकट संबंधी को जैर निगरानी पट्टा जारी किया है तथा उक्त तथ्य कोरम की जानकारी में लाया गया हो ऐसा कोई साक्ष्य अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे तत्कालीन सरपंच का उक्त पट्टा जारी करने में Conflict of Interest अर्थात् अध्यक्ष/सदस्य का निर्णय उसकी रूचि से प्रभावित होना प्रथम–दृष्ट्या प्रमाणित होता है।

बिन्दु संख्या 03 के संदर्भ में यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करने में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां रखी गई है जो पट्टा जारी करने में दुर्भावनापूर्ण अनियमितता की ओर इंगित करती है। प्रक्रियात्मक कमियों के संबंध में यह है कि जैर निगरानी पट्टे बाबत् अप्रार्थी द्वारा आवेदन नियम 157(1) के तहत किया जाता है तथा ग्राम पंचायत द्वारा आदेशिकाएं नियम 145(क) के साथ प्रथम आदेशिका पर दो पृथक–पृथक दिनांक अंकित की जाती है जबकि प्रार्थी के आवेदन पर कोई दिनांक अंकित नहीं है तथा मिसल की समस्त आदेशिकाएं पूर्व टंकित एवं अपूर्ण है। मिसल में ग्राम पंचायत द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रपत्र भी अपूर्ण, अदिनांकित एवं पूर्व टंकित है तथा पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में नियम 145 से नियम 155 की पालना भी नहीं की गई है (जैर निगरानी भू–खण्ड नीलामी से विक्रय है इसलिए नियम 145 से नियम 155 की पालना आवश्यक है) साथ ही आपत्ति इश्तिहार बाबत् नोटिस एक माह की अवधि का होना चाहिए था जबकि केवल 07 दिवस का ही नोटिस जारी किया गया एवं जैर निगरानी पट्टे की नीलामी में प्राप्त राशि अक्षरे 50,000/– रूपये से अधिक होने के बावजूद भी नियम 154(3)क के अनुरूप सक्षम अधिकारी से अनुमोदन का अभाव है। अतः बिन्दु अप्रार्थी के विरूद्ध तय किया जाता है।

अतः जैर निगरानी पट्टा जारी करने में प्रथम–दृष्ट्या गंभीर अनियमितता एवं विसंगतियां प्रमाणित होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर तीनों बिन्दु प्रमाणित पाये जाने से अप्रार्थी के विरूद्ध तय किये जाते है इसलिए मिसल संख्या 127/30.11.2017 में पारित आदेश दिनांक 20.04.2018 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 2079 दिनांक 20.04.2018 खारिज किया जाता है साथ ही जैर निगरानी प्रकरण में तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं अन्य संबंधित के स्तर पर गंभीर लापरवाही व अनियमितता पाई जाती है। अतः मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली को निर्देशित किया जाता है कि तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं अन्य संबंधित के विरूद्ध 15 दिवस में सी.सी.ए. नियम/सुसंगत नियमों में कार्यवाही करते हुए जैर आराजी का कब्जा ग्राम पंचायत को सुपुर्द किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29-11-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली